अंकेक्षण व निरीक्षण पत्र अधिसूचित क्षेत्र समिति परवाणु जिला सोलन, हि०प्र० ।

अवधि 4/88 से 3/90

भाग-1

1. गत अंकेक्षण पत्र :-

गत गम्भीर पैरों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। विशेषतया वे आपत्तियाँ जो प्रधान व सचिव से सम्बन्धित होती हैं उन पर कोई गौर नहीं किया जाता है, फलस्वरूप ऐसे पैरा काफी लम्बी अवधि से अनिर्णित है। अतः उच्च अधिकारीगण, जिलाधीश सोलन एवं सचिव (एल०एस०जी०) स्वयं ऐसी आपत्तियों पर वांछित कार्यवाही करें :-

(क) अंकेक्षण पत्र अवधि 1/79 से 3/82 :-

(1) पैरा 5(सी) तथा 5(डी) — अनिर्णित।

(ख) अंकेक्षण पत्र अवधि 4/82 से 3/85 :-

पैरा 6, पैरा 7, तथा पैरा 12(ए) — अनिर्णित।

(ग) अंकेक्षण पत्र अवधि 4/85 से 3/86 :-

पैरा 4 व पैरा 6 — निर्णित।

पैरा 8 — अनिर्णीत।

पैरा 9(ए) — अनिर्णीत, पूरा विवरण देकर कि मैकेनिक ने कितने दिन लेबर से कार्य किया तथा उसकी राशि वसूल की गई या नहीं। निर्णय-

पैरा 9(सी) — अनिर्णित।

पैरा 10 व पैरा 12 — निर्णीत।

(घ) अंकेक्षण अवधि 4/86 से 3/88 :-

पैरा 4 — निर्णित।

पैरा 6, पैरा 7, पैरा 8, पैरा 9 व 10 — अनिर्णीत।

पैरा 11, पैरा 14, पैरा 16 — नि[illegible]

को भला क्यों कोई आता ।

(2)

पैरा 12, पैरा 13, 15 व पैरा 17	अनिर्णीत ।
पैरा 18 व पैरा 19	सामग्री के दुरूपयोग के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है ।
पैरा 20	जाली भुगतान के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाए
पैरा 21, 22 व पैरा 23	अनिर्णीत ।
पैरा 24, 25 व पैरा 26	अनिर्णीत ।

भाग-2

2. **वर्तमान अंकेक्षण :-**

वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/88 से 3/90 तक का अनुभाग अधिकारी, श्री विनोद राज गुप्ता द्वारा दिनांक 11.1.91 से ~~[illegible]~~ 6.4.91 तथा 5.10.91 से 13.11.91 तक किया गया । माह 4/88 7/88, 12/88, 3/89, 6/89, 9/89, 12/89 तथा 3/90 को विस्तृत जांच के लिए चुना गया ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :-**

अंकेक्षण शुल्क 3900/-रु० जमा ~~जिससे~~ जिसे परीक्षक, स्थानीय निधि को ड्राफ्ट ~~[illegible]~~ संख्या 355823 दिनांक 28.10.91 को राज-कीय कोष में जमा कराने को पालिका द्वारा भेजा गया ।

4. **सरकारी अनुदान :-**

(क) 1.4.88 से पूर्व प्राप्त सरकारी अनुदान राशियों का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर संलग्न है, ~~व~~ उक्त राशि को शर्तों व निर्धारित अवधि में व्यय किया जाए ।

(ख) अवधि 1.4.88 से 31.3.90 तक प्राप्त सरकारी अनु-दानों का ब्यौरा परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है, इस राशि को निर्धा-रित शर्तों पर व्यय किया जाए ।

5. **वित्तीय स्थिति :-**

पालिका की वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी:-

आरम्भिक शेष 1.4.88	59,649-17
आय वर्ष 88-89	10,52,063-13

(3)

कुल	11,11,712-30
व्यय	6,56,309-78
अन्तिम शेष	4,55,402-52
प्रारम्भिक शेष 1.4.89	4,55,402-52
आय	7,40,987-90
कुल जोड़	11,96,399-42
व्यय	10,60,756-92
अन्तिम शेष 1.4.90	1,36,633-50

पैरा :- 12100-00 मूल्यों के कूड़ादानों के क्रय के लगभग [illegible] 7000-00रु0 के घोटाला का सन्देह ।

---

6. वाउचर सं0 41 दिनांक 28.9.89 द्वारा 12100/-00 रु0 मूल्यों के कूड़ादान इन्डस्ट्रीयल ट्रेडर चण्डीगढ़ से क्रय किए गए ।

कुल सं0	रेट	राशि
10	1100-00रु0 प्रति कूड़ादान तार्किक 2x3 फुट एम.एस.शीट	11000-00रु0
	टैक्स	1100-00
	कुल राशि	12100-00

प्रति कूड़ादान जिसका आकार 3x2 फुट है तथा एम.एस.शीट का बना है शीट की मोटाई का कोई ब्यौरा नहीं है परन्तु प्राप्त जानकारी से मालूम हुआ है कि वास्तव में यह कूड़ादान हल्की काली रंग चादर के हैं तथा जिसका गेज 24 से कम नहीं है तथा काफी घटिया किस्म की काली चादर के बने हैं।

उपरोक्त क्रय में घोटाला की प्रबल शंका है जिसकी पुष्टि निम्न तथ्य करते हैं :-

(1) <u>क्रय नियमों का उल्लंघन :-</u>

(क) क्रय करने से पहले मोहर बन्द कोटेशन निविदा आमंत्रित नहीं की गई ।

(ख) कोटेशन समिति द्वारा स्वयं इकट्ठी की गई थी तथा

किसी अन्य कर्मचारी व अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं दी गई तदोपरान्त सचिव द्वारा स्वंय ही इसे खोला गया जबकि इसे प्रधान या उप प्रधान द्वारा खोली जानी थी ।

(ग) प्राप्त कोटेशन जो स्वंय इकट्ठी की गई थी, एकमात्र दिखावा था तथा उसमें से एक कोटेशन रेमा इन्टरप्राईजिज परवाणु की भी रखी गई है जो इस प्रकार से लिखी गई है ।

" वैसा कूड़ादान आपने मौखिक रूप में क्रय करने का ब्यौरा दिया था उसे हम 1490 प्रति कूड़ादान दे सकते हैं ।"

इस कोटेशन पर न तो कोई तारीख थी और न ही इस बात का जिक्र था कि कूड़ादान किस आकार और वैसा सप्लाई किया जाएगा अन्य प्राप्त कोटेशन पर भी कोई हवाला नहीं है और न ही कोई तारीख थी ।

अत: कोटेशन एकमात्र दिखावा था ।

(2) इस कूड़ादान के आकार कपड़े धोने की मशीन के लगभग बराबर है और वह भी वर्ष 1989 में 1400-00रु० में उपलब्ध थी जिससे स्पष्ट है कि कूड़ादान का मूल्य क्या हो सकता है ।

(3) सोलन पालिका द्वारा दीना नाथ वेद प्रकाश सोलन से 3/91 को कूड़ादान 600-00 रु0 प्रति कूड़ादान के हिसाब से क्रय किए गए है जिसका आकार 3x2 ही है परन्तु अच्छी किस्म की चादर(सी.जी.आई.) के बने हैं ।

(4) इससे बढ़िया तो बिटुमन के खाली ड्रम उपयोग के लिए लाए जा सकते थे जो पालिका में उपलब्ध रहते हैं तथा उसकी कीमत 70-00रु0 से अधिक नहीं है तथा पालिका के पास 70 खाली बिटुमन ड्रम उपलब्ध थे ।

(5) मार्किट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रकार के कूड़ादानों का मूल्य केवल वर्ष 89 में 400-00 रु0 प्रति ड्रम से अधिक नहीं था । अत: एक कूड़ा दान 700-00रु0 मंहगा क्रय किया गया ।

अत: उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि क्रय नियमों की अवहेलना करके किसी लिखित निर्णय में बिना किसी अधिकारी व कर्मचारी को अवगत किए इन कूड़ादानों को 7000-00 रु0 के अधिक मूल्यों पर क्रय किया गया है । आश्चर्य की बात है

कि केवल 12100-00रु0 के व्यय में 7000-00रु0 का संदिग्ध घोटाला अपने आप में एक मिसाल है ।

पेरा : वाणिज्य स्टाल के आवंटन में सम्भावित घोटाला ।

7\. सेक्टर 5 में वाणिज्य स्टाल सर्वप्रथम 7.1.88 को श्री राजीव बख्शी को 850-00 रु0 प्रति माह किराए पर दिया गया तथा उसने 7/89 को यह खाली कर दिया उसके उपरान्त यह स्टाल 3/90 को श्री सुरेश पठानियां को आवंटित किया गया ।

गौरतलब है कि परवाणु जैसे शहर में जहां निवास व व्यवसायिक किराए बहुत मंहगे हैं श्री सुरेश पठानियां को यह स्टाल केवल 625-00रु0 प्रति माह पर दिया गया जबकि 2 वर्षों के बाद इसका किराया अगर 850-00 से अधिक नहीं तो कम से कम 850/-रु लिया जाना अनिवार्य था ।

रिकार्ड की छानबीन से इस शंका को इस स्टाल को देने में कोई गड़बड़ है और बल मिलता है की श्री पठानियों को यह स्टाल जानबूझ कर हित में सचिव द्वारा अवैध आवंटन किया गया है ।

निम्न तथ्यों से यह स्पष्ट है कि :

§1§ पहला नोटिस दिनांक 4.11.89 को निकाला गया दिखाया था जिसमें बोली की तिथि 28.11.89 को दी गई थी ।

§2§ परन्तु सचिव द्वारा इस नोटिस पर जो कि फाईल के पृष्ठ 76 पर है लिखा तिथि 24.11.89 को कोई भी व्यक्ति बोली पर नहीं आया था,लिहाजा बोली ~~दि~~ तिथि 11.12.90 को दुबारा रखी जाए ।

हस्ता/-
सचिव दिनांक
11.12.90

§क§ नोटिस पर बोली 28.11.89 को रखी गई थी परन्तु सचिव ने ऐसा कि ऊपर लिखा कि बोली पर दिनांक 24.11.89 को कोई नहीं आया ,से पता चलता है कि दिनांक 28.11.89 की जगह बोली दाताओं की उपस्थिति दिनांक 24.11.89 को देखी गई, से स्पष्ट है कि नोटिस 28.11.89 का था तो दिनांक 28.11.89

(16)

को भला क्यों कोई आता ।

{3} जबकि दूसरी बोली वास्तव में दिनांक 11.12.89 को रखी गई दिखाई गई है, परन्तु उपरोक्त नोटिंग में 11.12.90 अंकित था तथा हस्ताक्षर दिनांक 11.12.90 ~~[illegible]~~के अंकित हैं से पता चलता है कि यह रिकार्ड अंकेक्षण को गुमराह करने के लिए दिनांक 11.12.90 को बनाया गया क्योंकि अंकेक्षण इसी माह के अन्त में होने की सूचना उन्हें मिल गई थी अगर रिकार्ड वास्तविक होता तो दिनांक 11.12.89 ही लिखा गया होता, दिनांक 11.12.90 नहीं ।

{2} दूसरी बोली दिनांक 11.12.89 को हुई दिखाई गई फाईल के पृष्ठ 79 पर सचिव द्वारा इस प्रकार लिखा गया ।

" तिथि 11.12.90 को कोई भी व्यक्ति मौका पर बोली देने नहीं आया, लिहाजा निलामी की तिथि बाद में रखी जाएगी ।"

हस्ता/-
सचिव.

यहां भी 11.12.89 की जगह फिर 11.12.90 लिखा गया है जो संकेत करता है कि रिकार्ड 12/90 के बाद में बनाया गया और वास्तव में कोई बोली नहीं की गई ।

{3} इन दोनों बातों की सूचना उप प्रधान जो कि मौका पर सारी देखरेख के लिए जिम्मेवार थे और जिन्हें प्रत्येक प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार था, को भी इस बारे में अवगत नहीं किया क्योंकि ने इसके आबंटन में नियमानुसार कार्यवाही करते ।

{4} जैसा कि ऊपर लिखा गया था कि निलामी की तिथि कोई अन्य रखी जाएगी, नहीं रखी गई तथा बिना किसी आदेश व सक्षम अधिकारी को सूचित किए बिना कुछ प्रार्थना पत्र स्टाल के इच्छुक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए दिखाए गए हैं ।

यह पत्र 14.12.89 को प्राप्त किए गए केवल एक प्रार्थी श्री बैंटी खन्ना ने 600-00 रु0 प्रति किराया देने की इच्छा व्यक्त की थी अन्य सभी 300-00रु0 से कम प्राप्त करने के इच्छुक थे ।

(5) बहुत आश्चर्य की बात है कि दो बार बोली पर कोई नहीं आया परन्तु तीन दिन बाद ही कई व्यक्ति अपनी प्रार्थना लेकर पहुंच गए ।

परन्तु फिर भी किसी भी व्यक्ति को यह स्टाल नहीं दिया गया और अचानक 28.2.90 को श्री तरसेम पठानियां का प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया जिसमें उसने 625-00रु0 का किराया देने को कहा था उन्हें यह स्टाल आबंटित कर दिया गया इससे स्पष्ट है कि यह स्टाल श्री पठानियां को दिया जाना तय था, इसलिए 14.12.89 को प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर गौर नहीं किया गया तथा 28.2.90 को श्री पठानियां से 625-00रु0 किराए देने का प्रार्थना पत्र लिया गया ~~कक~~ क्योंकि पहले प्राप्त पत्रों में सबसे अधिक किराया 600-00रु0 ~~किराया~~ प्रति माह की दर से लेने की इच्छा श्री बंटी खन्ना ने की थी, अन्यथा यह 300-00रु0 पर ही दे दिया गया होता ।

उपरोक्त तथ्यों से साफ स्पष्ट है कि बोली की सूचना जबरदस्त थी, उप प्रधान को इसकी सूचना नहीं दी गई फिर स्वंय कुछ प्रार्थना पत्र इकट्ठे किए गए और 625-00रु0 पर श्री पठानियां को स्टाल दे दिया गया । क्योंकि उपरोक्त अनुमान के आधार पर 800-00रु0 प्रतिमास किराया प्राप्त हो सकता था पालिका को इस प्रकार स्टाल को 625-00रु0 प्रति मास पर देने के कारण प्रतिमास 175 रुपये ~~200-00रु0~~ की क्षति के लिए सचिव जिम्मेवार है अत: अब इस स्टाल के आबंटन की पूर्ण ~~x~~ जांच की जाए व यदि कोई क्षति सिद्ध होती है तो उचित कार्रवाई की जाए ।

पैरा:-8. सचिव द्वारा बिना प्रधान की स्वीकृति से व्यय अत: 75185-00रु0 का अनियमित भुगतान ।

8. निम्नलिखित व्यय सचिव द्वारा स्वयं किया गया जबकि पालिका व प्रधान की स्वीकृति लेना अनिवार्य है । जैसा कि अनेकों पैरों में सिद्ध किया जा चुका है कि सचिव द्वारा क्रय अधिक दरों पर किए गए है तथा अनेकों अनियमित व्यय भी किए गए है । सम्भवत: इसी उद्देश्य ~~ई~~ की पूर्ति के लिए इन व्ययों को प्रधान के ध्यान में नहीं लाया गया । इन व्ययों में मुख्य पैट्रोल का अधिक खरीद व अन्य

संदिग्ध व्यय है । अतः इस राशि को सचिव से वसूल किया जाय:-

वाउचर नं0	दिनांक	विवरण	राशि
11	14.12.89	हरीकृष्ण को इम्प्रेस्ट	1000-00रु0
12	21.12.89	बिजली उपकरणों का व्यय	4461-00रु0
13	21.12.89	--------	540-00रु0
14	"	बिजली बिल	1018-00रु0
15.	"	फोटो कापी	242-00रु0
16.	"	स्टेशनरी	482-00रु0
17.	"	स्टैंप	100-00रु0
18.	"	--	1821-00रु0
1	1.1.90	इम्प्रेस्ट कनिष्ठ अभियन्ता	1000-00रु0 इसका हिसाब नहीं दिया
2	"	" हरीकृष्ण	500-00
3	"	विभिन्न भुगतान	9072-00
4.	6.3.90	उद को अग्रिम पेट्रोल	1749-00
		कुल	21985-00

इसके अतिरिक्त निम्न व्यय अनुदान राशियों से बिना प्रधान की स्वीकृति से सचिव द्वारा किया गया :-

वाउचर नं0	दिनांक	विवरण	राशि
1.	23.10.89	मुन्नी लाल को आकस्मिक क्षति के अनुदान से	30000-00
3.	------	कालिका मेहता की रेत के लिए	3250-00
4.	"	आवास को सिमेंट के लिए	7750-00
5.	"	पानी का टंक के क्रय के लिए	13200-00
		जोड़	54200-00

कुल जोड़ 54200-00
21985-00
76185-00

अतः उपरोक्त कुल राशि 76185-00रु0 का प्रधान तथा पालिका की अनुमति के बिना व्यय करना अनियमित है। समस्त

व्यय की औचित्यता की जाँच की जाए तथा यदि व्यय उचित हो तो कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए ।

पैरा :-9: सरकारी आदेशों के विपरीत मोटर साईकल पर यात्रा भत्ता प्राप्त करना तथा सचिव पालिका परवाणु द्वारा स्वयं को 7600-00रु0 की अधिक अवैध अदायगी ।

9. विभिन्न यात्रा भत्ता दावों में सचिव द्वारा यात्रा मोटर साईकल द्वारा की गई दिखाकर 7600-00रु0 की अवैध भुगतान अपने लिए किया है । परिशिष्ट "ग" पर जिसका पूर्ण विवरण दिया गया है।

सचिव (वित्त) हि0प्र0 सरकार के अनेकों पत्रों द्वारा जो कि आर्थिक संकट के तहत जारी किए थे तथा प्रथम बार इन आदेशों को सितम्बर, 1987 में जारी किया गया था, इन आदेशों के अन्तर्गत निजि वाहन द्वारा यात्रा करने पर रोक लगा दी गई, 3/91 को अंकेक्षण अधिकारी द्वारा इन आदेशों का पालन करने का आग्रह किया गया । परन्तु फिर भी इसकी अदायगी जारी रखी गई ।

अत: यह राशि जो कि रुपये 7600-00रु0 बनती है को तुरन्त सचिव से वसूल किया जाए । सचिव द्वारा अवैध भुगतान के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ।

(ख) इसके अलावा 900-00रु0 दिनांक 24.10.89 को अपने लिए वाहन भत्ता के रूप में 300-00 रु0 प्रति मास की दर से भुगतान किया । सरकार की अनुमति के बिना यह भत्ता प्राप्त करना अवैध है । इस प्रकार अपने लिए राशि का अनियमित भुगतान करना पालिका की निधि का दुरुपयोग है ।

बिजली के सामान का मंहगा क्रय फलस्वरूप 1600/- की अधिक अदायगी :-

10. वाउचर संख्या 39 द्वारा दिनांक 9/89 को विजय इलैक्ट्रीकल से विद्युत का निम्न सामान क्रय किया गया :-

नाम	संख्या	मूल्य	राशि
पो० 40 वाट अलमुनियम	100	48-00	4800-00

हैं, परन्तु दिनांक 9.11.89 तक उक्त द्वारा कार्यों पर 38 हुआ

(10)

नाम	संख्या	मूल्य	राशि
ट्यूब 40 राड 40 वाट	200	28-00	5600-00
ट्यूब स्टारटर	350	3-50	1225-00
		कुल	11625-00
		टैक्स	1162-00
			116-00
			12903-00

उपरोक्त क्रय में क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया जैसे कोटेशन स्वयं सचिव द्वारा स्वंय लोगों द्वारा प्राप्त की गई। कोटेशन पर वस्तुओं की गुणवत्ता व विशेष वस्तु का कोई हवाला नहीं दिया गया जबकि मोहरबन्द कोटेशन को आमंत्रित किया जाना था, तदोपरान्त इसे प्रधान व अन्य अधिकृत सदस्य के सामने खोला जाना चाहिए था, जिसके लिए निम्न प्रमाण है:-

{1} उपरोक्त क्रय श्री एम0के0 कुकरेजा के कार्यकाल में हुआ अनेक पैरा इस बात का प्रमाण दे चुका है कि इस कार्यकाल में सचिव स्वंय ही पूर्णतया अधिकृत थे। इस लिए इस क्रय से सम्बन्धित कोटेशन वगैरह को आमन्त्रित करना, खोलना व सप्लाई आर्डर देने का प्रधान व पालिका को कोई सूचना नहीं थी।

{2} श्री कुकरेजा के जाने के बाद सहायक आयुक्त श्री ओ0पी0शर्मा को प्रधान का कार्यभार दिया गया तथा इन्होंने ईमानदारी व कुशलता का परिचय देते हुए नियमानुसार कोटेशनों को आमन्त्रित किया एवं कोटेशन 2/90 में आमंन्त्रित की गई थी श्री विजय इलेक्ट्रानिक्स ने उपरोक्त सामान इन भावों पर दिया:-

चोक 40 वाट	38-00प्रति।
ट्यूब 40 वाट	25-00प्रति।

उपरोक्त दरें जो 5 मास बाद उसी फर्म ने दी वह प्रति चोक 10 रु0 कम व प्रति ट्यूब 3-00रु0 कम थी, से स्पष्ट है कि सचिव द्वारा किया गया क्रय मंहगा है इस प्रकार 1600-00रु0 की अधिक अदायगी की गई।

टयूब क्रय की गई थी	प्रति टयूब अधिक अदायगी	अधिक अदायगी
200	3-00	600-00
100 पोंक क्रय की गई थी	10-00	1000-00
	कुल	1600-00

इस प्रकार से क्रय नियमों का उल्लंघन जानबूझ कर के राशि का दुरूपयोग सचिव द्वारा किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि सचिव द्वारा जानबूझ कर नियमों की अवहेलना की गई ताकि अधिक राशि की अदायगी कर राशि का दुरूपयोग किया जा सके।

पेरा:-11 3209-0080 की राशि का पेट्रोल का अवैध क्रय:

11. पूर्ण अवधि में 3209-0080 का पेट्रोल क्रय किया गया जिसका ब्यौरा निम्न है।

पेट्रोल पंप द्वारा जारी बिलों में यह सचिव के मोटर साईकल एच0पी0के0 2234 व अन्य स्कूटर एच0वाई0एम0 को सप्लाई किया गया है। सचिव को निजि प्रयोग के लिए पेट्रोल देने का न कोई आदेश है न ही प्रावधान है। सचिव द्वारा मनमाने ढंग से जैसे कैसे राशि का गबन व दुरूपयोग करना एक आम बात प्रतीत हो रही है। इसलिए इस राशि की वसूली के साथ सचिव के विरूद्ध राशि के दुरूपयोग बारे में सख्त कार्यवाही की जाए।

सचिव द्वारा अवैध रूप से पेट्रोल का क्रय

दिनांक	वाउचर सं0	राशि	विवरण
10/89	15	274-45	
3/90	7	453-65	
3/90	7	416-78	
6/90	5	1380-46	
8/90	6	684-87	
	कुल	3209-91	

पेरा:-12 पालिका परवाणू के सचिव श्री महेश शर्मा द्वारा जाली यात्रा भत्तों की प्राप्ती।

12

लेखों की जांच से मालूम हुआ है कि श्री महेश शर्मा सचिव द्वारा जाली यात्रा भत्ते के दावे पेश करके स्वयं को जाली भुगतान किया गया है ब्यौरा निम्न है:-

§1§ वाउचर सं0 10 दिनांक 12/89 यात्रा भत्ता माह 10/89 व 11/89 ।

§2§ वाउचर सं0 1 दिनांक 11/90 यात्रा भत्ता 10/9[

§3§ वाउचर सं0 10, दिनांक 12/90 यात्रा भत्ता माह 10/90 ।

§1§ इस यात्रा भत्ता का दावा माह 10/89 व 11/89 के लिए किया गया । इस बिल द्वारा सचिव ने दिनांक 27.11.89 को स्वंय को शिमला की यात्रा पर दिखाया गया है, रिकार्ड से प्राप्त उनकी अवकाश की अर्जी से मालूम हुआ कि वे 27.11.89 व 28.11.89 को आकस्मिक अवकाश पर थे तथा गत उप प्रधान एवं स सहायक आयुक्त ने 29.11.89 को उनका अवकाश स्वीकृत किया था जिससे स्पष्ट है कि वे 27.11.89 व 28.11.89 को अवकाश पर थे

इस मामले की जानकारी अनुभाग अधिकारी को 21 मार्च 1991 को हो चुकी थी परन्तु जब पुन: निरीक्षण दिनांक 5.10.91 को किया गया तो पाया गया कि रिकार्ड की कांटछांट की गई है और दिनांक 27.11.89 की जगह 28.11.89 को यात्रा पर दिखाने का प्रयत्न किया गया है, अनुभाग अधिकारी को यह भय पहले ही था कि इस मामले की जानकारी मिलते ही रिकार्ड से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए यात्रा भत्ता बिल पर अनुभाग अधिकार द्वारा लिखा गया था कि यात्रा 27.11.89 को की गई और गवाही के लिए लेखा लिपिक श्री हरिकृष्ण के हस्ताक्षर भी करवाए गए थे जो अभी भी मौजूद है सम्भवत: काट छांट सचिव द्वारा स्वंय की गई फिर भी एक और भूल उनसे हो गई क्योंकि रिकार्ड में प्रमाण उपलब्ध है कि वे 29.11.89 को भी यात्रा में नहीं थे ।

1. हाजरी पंजिका पर सचिव द्वारा अपने को उपस्थित दिखाया है जिससे स्पष्ट है कि वे यात्रा पर नहीं थे ।

2. 27.11.89 व 28.11.89 को हाजरी खानों में कांट-छांट की गई है । 27.11.89 की हाजरी को काटा गया

है तथा 28.11.89 की हाजरी को अभी भी कार्यालय में उपस्थित दिखाया गया है जबकि वे अवकाश पर थे इस प्रकार दिनांक 27.11.89 को उन्होंने LTC पर यात्रा के स्थान पर आकस्मिक अवकाश लिखने का प्रयत्न किया है ।

(3) दिनांक 29.11.89 को उन्होंने सप्लाई आर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं और यह आर्डर कालिया मेहता को ईंटों इत्यादि के क्रय को दिया गया था ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सचिव द्वारा 27.11.89 का जाली यात्रा भत्ता का दावा पेश कर 61-00रु० की राशि का गबन किया है । तथा फिर रिकार्ड की छेड़छाड़ व काँट-छाँट करके तथ्यों को छुपाने का प्रयत्न किया है ।

(2) **दूसरा जाली दावा :-**

एक बार फिर जाली यात्रा भत्ता का दावा मास 10/90 के रूप में किया इस मास के लिए दो बिल पेश किए, उक्त दोनों बिलों में दिनांक 22.10.90 को यात्रा पर इस प्रकार दिखाया है :-

वाउचर सं० 1 दिनांक 11/90	22.10.90 7-30 प्रातः	22.10.90 9-45 सांय	परवाणु से शिमला व वापिस	166-00 रु० की राशि ।
वाउचर सं० 10 दिनांक 12/90	22.10.90 9 प्रातः	22.10.90 6 सांय	परवाणु से सोलन व वापिस ।	94-00रु० की राशि

इस प्रकार एक बिल पर दिनांक 22.10.90 को परवाणु से शिमला दिखाया गया तथा दूसरे बिल पर परवाणु से सोलन दिखाया गया तथा दोनों बिलों द्वारा दिनांक 22.10.90 की यात्रा के लिए (कुल 260-00रु०) 166-00रु० एक बिल पर तथा 94-00 रु० दूसरे बिल द्वारा) प्राप्त करके राशि का गबन किया है ।

नियमानुसार एक मास के लिए केवल एक ही बिल प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु सचिव द्वारा जानबूझकर दो बिल

प्रस्तुत किए गए ताकि वे एक ही तारीख के लिए दो भुगतान कर सके ।

13. **सड़कों की मरम्मत के लिए श्री नरेश कुमार ठेकेदार को पालिका द्वारा बिटुमन जारी न करना, सचिव द्वारा श्री नरेश कुमार ठेकेदार को 37100-00रु0 के मूल्यों के अवैध बिटुमन प्राप्ती में सहयोग :-**

श्री नरेश अग्रवाल को सेक्टर-2 में पालिका की सड़कों की मरम्मत के लिए कार्य 23.7.89 को प्रदान किए गए ।

सरकारी आदेश जो उप सचिव (वित्त) के पत्र सं0 एफ.डी.एस.एफ.(6)-5/85 दिनांक 20.11.85 को जारी किए गए थे । द्वारा कोई भी सरकारी संस्था ठेकेदारों को कार्यों में प्रयोग के लिए बिटुमन की सप्लाई देने के लिए बाध्य कर दी गई थी तथा किसी भी हालत में ठेकेदारों को बिटुमन स्वंय अपने स्त्रोतों से प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, इन आदेशों का उद्देश्य बिटुमन की चोरी की रोकथाम करना था ।

यह जानकारी पालिका के सचिव को भी थी क्योंकि गत वर्षों में बिटुमन पालिका द्वारा ही अपने भण्डार से दिया गया था तथा इसके उपरान्त भी बिटुमन पालिका द्वारा स्वंय सप्लाई किया गया है ।

इन आदेशों की अवहेलना जानबूझ कर की गई थी ताकि नरेश कुमार ठेकेदार को अन्य जगहों से अवैध बिटुमन प्राप्त करने की छूट दी जाए, निम्न प्रमाण यह स्पष्ट करते है कि अनेकों बार सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में होने वाली कार्यवाही को रोका है :-

(1) 23.10.89 को नरेश कुमार अग्रवाल ने अपने पत्र द्वारा 18 ड्रम बिटुमन लेने की प्रार्थना की और सचिव ने बिना प्रधान के आदेशों के उन्हें 18 ड्रम जारी कर दिए, सचिव द्वारा ड्रमों को सप्लाई न करके उधार देना इस बात का सूचक है कि ठेकेदार को सहयोग दे रहे थे

(2) ठेकेदार ने पालिका को सूचित किया था कि उसने बिटुमन सरकारी संस्था इण्डियन ऑयल कारपोरेशन से मंगाए

15

हैं, परन्तु दिनांक 9.11.89 तक उन द्वारा कार्यों पर 38 ड्रम की खपत की जा चुकी थी अतिरिक्त 20 ड्रम उन्होंने उस तारीख तक तक कहाँ से प्राप्त किए के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की गई ।

(3) पूर्ण कार्य 17.3.90 को समाप्त हो गया था तथा नरेश कुमार द्वारा कुल 53 ड्रम प्रयोग में लाए गए थे तथा दिनांक 4.12.89 को रनिंग भुगतान 72013-00 की राशि का किया था भुगतान से पहले ठेकेदार से पूछना चाहिए था कि वे बिटुमन कहाँ से लाए हैं ।

(4) जैसा कि समस्त कार्य 3/90 को किया जा चुका था और 31285-00 की राशि का भुगतान किया था । सचिव ने पत्र सं0 एम,सी0पी0(डी0एन0)बिटुमन/90-32, दिनांक 30.6.90 को ठेकेदार से पूछा कि वे बताए कि उन्होंने बिटुमन कहाँ से प्राप्त किया ।

(5) उक्त पत्र के उत्तर में श्री नरेश अग्रवाल ने सचिव को लिखा कि 35 ड्रम उनके पास वर्ष 1985 के पड़े थे जबकि 23.10.89 के पत्र में उन्होंने लिखा था कि बिटुमन उन्होंने इण्डियन ऑयल कारपोरेशन से मंगवाया है, अगर उनके पास 35 ड्रम 1985 के होते (जिसका कोई प्रमाण नहीं है) तो वे 18 ड्रम उधार क्यों मांगते अतः यह स्पष्ट है कि बिटुमन उन्होंने अवैध रूप से प्राप्त किया है ।

इस प्रकार श्री नरेश कुमार अग्रवाल ने 37100-00 रु0 के मूल्यों के 53 ड्रम बिटुमन की अवैध रूप से प्राप्ती की है इसलिए जिलाधीश सोलन व सचिव एल0एस0जी0 हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाता है कि नरेश कुमार द्वारा बिटुमन कहाँ से प्राप्त किया गया, की छानबीन करवाई जाए ।

विशेष अभियान रिपोर्ट

14. **नगरपालिका के पालिका प्रशासन जिला सोलन लेखा परीक्षा अवधि 4/88 से 3/90 तक :-**

(1) पालिका प्रधान श्री एस.के.गुप्ता द्वारा पालिका की सड़कों की मुरम्मत का अधिक मूल्यों पर श्री राजीव गुप्ता को

करने की रुचि दिखाई थी । केवल आठ महीने में उन्होंने अपने मूल्यों में 100% की कमी की थी जबकि मूल्य सदैव बढ़ते रहे हैं तथा उन्हें यह भी ज्ञात था कि पहले 75% अधिक मूल्यों पर पालिका

अनुचित ढंग से ठेका देकर पालिका कोष को लगभग दो लाख रुपयों की क्षति ।

[2] श्री अनिल कुमार वालिया सहायक अभियन्ता द्वारा श्री अधिक मूल्यों पर ठेका देने की मुविधा तथा जानबूझ कर पालिका कोष को क्षति ।

पालिका के लेखों की लेखा परीक्षा अवधि 4/88 से 3/90 तक जांच करते हुए पाया गया कि दिनांक 5.12.88 से 1.12.89 तक श्री एस.के.गुप्ता[सहायक अभियन्ता] प्रधान पद पर तैनात रहे तथा श्री अनिल कुमार वालिया सहायक अभियन्ता के पद पर थे ।

इस अवधि में 5,96,662/-रु० के निर्माण कार्य किए गए, जिसमें 5,14,613/-रु० का भुगतान केवल राजीव गुप्ता को किया गया । यानि कि समस्त ठेके श्री राजीव गुप्ता को दिए गए थे । यह कार्य केवल सड़कों पर तारकोल बिछाना था [विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है]

छानबीन के उपरान्त प्राप्त तथ्यों से लगभग स्पष्ट होता है कि उपरोक्त कार्यों को निजि लाभ के वशीभूत अनुचित ढंग से श्री राजीव गुप्ता को देकर पालिका को 2,00,000/-रु० की राशि की क्षति पंहुची है, सन्देह निम्न कारणों और तथ्यों पर आधारित है ।

[क] श्री राजीव गुप्ता को लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी मूल्य सूची 1987 से 75% अधिक पर कार्य प्रदान किए गए । जबकि यह कार्य केवल 10% अधिक तक ही दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि :-

1] यह ठेका 5.12.88 को दिया गया तथा इस अवधि में अन्य सभी संस्थाओं,लोक निर्माण विभाग में इस कार्य पर कोई प्रीमियम नहीं दिया गया था ।

2] अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा इस अवधि में अधिक प्रीमियम देने के कोई आदेश नहीं हुए जैसा कि समय-समय पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिक प्रीमियम देने के आदेश जारी किए जाते है ।

(17)

§3§ सहायक अभियन्ता द्वारा ऐनालिसिस तैयार किए गए परन्तु उन्होंने भी 79% अधिक प्रीमियम को उचित ठहराया है §ऐनालिसिस जो सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार किए, की कापी परिशिष्ट "सी" पर है । ऐनालिसिस को 79% पर तैयार करना भी संदिग्ध था, क्योंकि मूल्यों को इस तरह अधिक बढ़ाने में निहित हित होने का पूर्ण सन्देह है ~~कक~~ क्योंकि :-

§1§ रोड रोलर की कीमत 101/-रु0 प्रतिघन मीटर बताई गई है जबकि यह केवल 35/-प्रति घन मीटर होना चाहिए थी । सहायक अभियन्ता द्वारा रोड रोलर की प्रतिदिन किराया 2033/- बताया गया है। जबकि यह सदैव 700/-रु0 प्रतिदिन पर उपलब्ध है । फलस्वरूप जानबूझ कर प्रीमियम को अधिक उचित ~~ठहरा~~ ठहराने हेतु ऐसा किया गया । अगर ठीक मूल्य को ऐनालिसिस में अंकित किया गया होता तो केवल प्रीमियम 10% अधिक से ऊपर उचित न होता ।

§2§ ऐनालिसिस का ठीक ढंग से अध्ययन करने से यह भी पता चला है कि निहित हित व गलत मूल्यों पर बनाया गया ऐनालिसिस वास्तव में 57.6% बनता है परन्तु इसे सम्पन्न की जानी वाली कुल संख्या से गुणा करके अधिक बनाया गया है । इसे निम्न प्रकार से तैयार किया जाना था जो कि केवल 57.6% अधिक बनता है ।

~~1987 के स्टयल पर दिए गए मूल्य~~

	1987 के स्टयल पर दिए गए मूल्य	ऐनालिसिस में तैयार किया गया मूल्य	अधिक प्रीमियम
वियरिंग कोट	152-00प्रति घन मी.	317.10	108%
वृक्ष इत्यादि	10.80 प्रति 10वर्ग मी	13.45	24%
ग्राउँटिंग कोट	46.95	64.10	36%
प्री मिक्स कारपेट	129.30	234.00	80%
प्रीमिक्स सील कोट	54.35	76.60	40%
			57.6%

करते रहे हैं प्रति दिन ... । केवल आठ महीने में उन्होंने अपने

अतः यह सम्पूर्ण स्पष्ट है कि पूरी कोशिश की गई कि प्रीमियम को 75% अधिक देना उचित ठहराया जाए । सहायक अभियन्ता की भूमिका पूर्णतया सन्देह जनक है ।

(ग) दिनांक 5.12.88 को एक ही प्रकार के कार्यों के लिए पांच टेण्डर आमन्त्रित किए गए जिसमें केवल पांच ठेकेदार ने रुचि दिखाई थी । ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ कर टेण्डर आमन्त्रित करने की खुली सूचना नहीं दी गई थी । जबकि कुल समस्त कार्यों की राशि 6,00,000/-रु0 थी । इतनी बड़ी राशि के कार्यों की निविदा सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पर्याप्त समय दिया जाना था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

(घ) टेण्डर खुलने की तिथि 5.12.88 को केवल प्रधान प्रधान महोदय उपस्थित थे तथा टेण्डर उन के द्वारा स्वंय खोले गए दिखाई हैं जबकि म्यूनिसिपल एकाउंट कोड नियम-192 के अन्तर्गत इसे सहायक अभियन्ता द्वारा प्रधान की उपस्थिति में खोला जाना था ।

(च) परिशिष्ट "ख" पर ठेकेदारों द्वारा भरे गए प्रीमियम को देखने से प्रतीत होता है कि सभी ठेकेदारों ने 110% से 145% तक अधिक प्रीमियम पर काम करने में रुचि दिखाई थी । ठेकेदारों द्वारा इतना अधिक प्रीमियम भरना इस बात का सूचक है कि कोई भी ठेकेदार वास्तव में रुचि नहीं दिखा रहा था, क्योंकि समस्त ठेकेदारों का आपस में तालमेल था अगर वास्तव में स्पर्धा रहती होती तो कोई भी ठेकेदार इतना अधिक प्रीमियम नहीं भरता । क्योंकि गौर-तलब है कि जब भी एस0के0गुप्ता के स्थान पर अन्य प्रधान तैनात हुए तो टेण्डर आमन्त्रित किए गए एक टेण्डर 23.7.89 को खुले (विवरण परिशिष्ट "ग" पर दिया गया है । जिसमें उन्हीं ठेकेदारों ने उन्हीं कार्यों के लिए टेण्डर भरे जिसमें उन्होंने केवल 37% अधिक प्रीमियम पर कार्य करने की रुचि दिखाई थी । केवल आठ महीने में उन्होंने अपने मूल्यों में 100% की कमी की थी जबकि मूल्य सदैव बढ़ते रहे हैं तथा उन्हें यह भी बताया था कि पहले 75% अधिक मूल्यों पर पालिका

द्वारा कार्य किए गए हैं फिर भी 37% अधिक प्रीमियम भरना इस बात को प्रमाणित करता है कि सभी ठेकेदारों को मालूम था कि टेण्डर किसे मिलना था तथा इसके बदले में उन्हें फिटर इत्यादि बनाने के कार्य प्रदान किए गए थे कि 8% अधिक प्रीमियम पर किए गए। जबकि बाद में यह कार्य 14% कम पर कराए गए इसलिए यह भी समझौते की शर्त ~~की शर्त~~ की शर्त लगती दिखाती है।

(घ) श्री गुप्ता के जाने के बाद वास्तव में जो टेण्डर आमन्त्रित हुए। उस वक्त संबंधित ठेकेदारों को नए प्रशासन की ईमानदारी व सूझबूझ की जानकारी थी। फलस्वरूप स्पर्धा हुई और केवल 10% अधिक पर कार्य श्री नरेश अग्रवाल को प्रदान किया गया तथा ठेकेदारों ने भी 75% से कम रेट में टेण्डर भरे थे।

(ङ) श्री राजीव गुप्ता जो श्री एस0डी0 गुप्ता के कार्यकाल में लगभग सभी कार्यों को टेण्डर भरते थे परन्तु उनके उपरान्त उन्होंने कभी भी टेण्डर भरने में रुचि नहीं दिखाई। इससे भी वास्तविकता का ~~अनुम~~-अनुमान लगाया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से यह सन्देह करना स्वाभाविक है कि श्री राजीव गुप्ता को 75% अधिक प्रीमियम देकर तथा पालिका कोष को 2,00,000/-रु0 की क्षति पहुंचा कर कोष का दुरुपयोग करने में प्रशासन व सहायक अभियन्ता जिम्मेदार है। इसलिए इस मामले की पूरी गम्भीर सतर्कता विभाग द्वारा की जानी चाहिए।

15. <u>राजीव बख्शी से पालिका के स्थल के किराए की 3975/-रु0 की कम वसूली/सचिव द्वारा हुए का सन्देह :-</u>

राजीव बख्शी पालिका के एक स्टाल के किराए दार थे। जिन्होंने यह स्टाल 850/-रु0 प्रतिमास की दर से लिया हुआ था। उन्होंने यह स्टाल 31.7.89 को खाली कर दिया।

इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा बकाया किराए का लेखा स्वयं तैयार किया गया था तथा 1600/-रु0की अन्तिम बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अपने पत्र द्वारा (यह पत्र स्टाल से सम्बन्धित फाईल के पृष्ठ 65 पर है) राजीव बख्शी को कहा गया। अन्त में राजीव बख्शी द्वारा दिनांक 2.8.89 को रसीद सं0 1561 द्वारा यह भुगतान कर दिए

(20)

दिया था । सचिव द्वारा यह मामला बन्द कर दिया गया है ।

परन्तु अंकेक्षण पर पूर्ण छानबीन की गई तो निम्न जानकारी प्राप्त हुई ।

किराया वसूल किया जाना था :-

अवधि 15.1.88 से 31.7.89 दर 850/-रु0 प्रति माह-- 15725-00

किराया वसूल किया गया :-

दिनांक	रसीद संख्या	राशि
7.1.88	976	2550-00
21.11.88	562	2000-00
20.12.88	660	5600-00
2.8.89	1561	1600-00

(~~xxxxx~~ बख्शी द्वारा पानी की फिटिंग पर किया था व्यय की अदायगी, जो कि अनुचित थी क्योंकि व्यय से सम्बन्धित न तो बिल थे न पालिका द्वारा अनुमति - 950-00

12800-00 12800-00

कम वसूली - 3025

तथा 950 की राशि

जो स्वीकृत नहीं

किया जा सकता 950

कुल जोड़ = 3975-00

इस प्रकार जबकि 3975/-रु0 की राशि की वसूली और की जानी थी, सचिव द्वारा अन्तिम प्राप्त राशि केवल 1600/-रु0 ही तय की गई जबकि यह (3975+1600=5575 रु0) होनी चाहिए थी ।

अंकेक्षण द्वारा सभी मामले जांच नहीं किए जाते, यह मामला प्रकाश में न आया होता तो पालिका को 3975/-रु0 की क्षति उठानी पड़ती ।

अतः इस प्रकार के सभी मामलों की जाँच की जाए । 3975-00 रु0 जो ऊपर बताए गए हैं । की वसूली राजीव बख्शी से या फिर जिस किसी की गलती से यह रकम वसूल नहीं हुई उस से वसूल की जाए ।

(21)

16. अग्रिम राशि की वसूली न करना :-

प्रायः देखा गया है कि कर्मचारियों को अग्रिम राशि प्रदान की गई है, परन्तु न तो यह हिसाब रखा गया है कि किसे कितनी राशि दी गई थी। फलस्वरूप इस राशि का समायोजन होना असम्भव था। कर्मों से दी गई यह राशि पालिका के लेखों के अनुसार कभी भी वापिस नहीं ली जा सकती थी। इस प्रकार से इन राशियों की वसूली संदिग्ध थी। लेखों का उचित ढंग से तैयार न करना तथा वसूलियों पर कोई नियन्त्रण न होना एक गम्भीर अनियमितता है।

(1) वाउचर सं0 9, दिनांक 12.6.88 :

सुधीर कुमार सुपरवाईजर को 300/-रु0 उत्सव अग्रिम राशि दी गई थी परन्तु केवल 200/-रु0 ही वापिस वसूल किए गए। बकाया 100/-रु0 की राशि को तुरन्त वसूल किया जाए।

(2) सुधीर कुमार से 300/-रु0 की कम वसूली :

गर्म वस्त्रों के लिए अग्रिम धन		वसूली	
दिनांक	राशि	दिनांक	राशि
2/89	800	4/89 से 10/89	700
11/89	800	1/90 से 3/90	300
कुल = 1600.00		9/90	100
		10/90	100
		2/91	100
		कुल	1300-00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल 1300/-रु0 की ही वसूली की गई वह भी इच्छानुसार तथा बाद में वसूली बन्द कर दी गई।

नियमानुसार गर्म वस्त्रों के लिए अग्रिम धन 3 साल में एक बार दिया जाता है, परन्तु यहाँ केवल दो मास बाद ही अग्रिम धन दे दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है लेखों पर ठीक नियन्त्रण नहीं है। इस राशि को तुरन्त वसूल किया जाए।

(22)

{3} कनिष्ठ अभियन्ता को 3000/-रु० का अग्रिम धन :-

अग्रिम धन का भुगतान, वाउचर सं० । दिनांक 1.1.90 तथा वाउचर सं० 28, दिनांक 4/90 तथा वाउचर संख्या 32 दिनांक 7/89 द्वारा किया गया था ।

इस अग्रिम धन का कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया था । कमेटी की जानकारी में इसकी वसूली का कोई नाम नहीं था । इसीलिए 1/92 तक की अवधि तक ~~कोई कार्यवाही~~ इस राशि का समायोजन नहीं किया जा सका था । स्पष्ट है कि अगर अंकेक्षण द्वारा इसका पता न लगाया गया होता तो यह राशि कभी भी वसूल न होती ।

अतः कनिष्ठ अभियन्ता से तुरन्त राशि की वसूली शीघ्र की जाए और इस विभाग को की गई कार्यवाही से सूचित किया जाए ।

{4} हरिकिशन लिपिक के द्वारा भी अग्रिम धन का समायोजन न करना :-

हरिकिशन लिपिक को निम्न राशि का भुगतान किया गया । यह राशि इम्प्रेस्ट के रूप में उनको दी गई । परन्तु इससे संबंधित वाउचर उपलब्ध नहीं थे । अतः राशि को वसूल किया जाए ।

दिनांक 12/89	1000-00
दिनांक 1/90	500-00
दिनांक 4/89	500-00
कुल	2000-00

17. स्वीकृत बजट से 4,97,296/-रु० का अधिक व्यय :-

वर्ष 1989-90 के स्वीकृत बजट द्वारा केवल 5,63,460/-रु० का व्यय करने का प्रावधान था । परन्तु इस वर्ष 10,60,756/-रु० का व्यय किया गया । म्युनिसिपल एकाउंट कोड, 1975 की धारा 17 के अन्तर्गत स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की अनुमति राज्य सरकार से लेना अनिवार्य है । बहुत आश्चर्य की बात है कि सचिव द्वारा कमेटी की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई ।

गौरतलब है कि ~~सचिव~~ अधिशासी ने जुलाई के बाद में कार्यभार किया

... ... धन राशि का भुगतान किया गया है । रिपोर्ट के अनुसार इसे कहीं भी उपयोग में नहीं लाया है । अतः यह जाती प्रतीत होता है इस बारे में पूरी छानबीन की जाए और यदि यह खरीद वास्तव में ठीक न पाई जाए तो सर्वप्रथम इस राशि को वसूल कि...

(23)

18. सचिव द्वारा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रूप में 1000/-रू0 की अवैध प्राप्ति :

श्री महेश दत्त शर्मा को,7/89 में सचिव नियुक्त किया गया । उन्होंने 1000/-रू0 की राशि वाउचर सं0 23 दिनांक 6.9.89 को यात्रा भत्ता के रूप में स्वंय को भुगतान किया । यह राशि उन्होंने ज्वाला जी से परवाणु तक अपने सामान के किराए के रूप में दिखाई है । सचिव को मालूम होते हुए भी कि वे स्थानान्तरण नहीं हुए हैं तथा नियुक्त होने पर उन्हें यह राशि देय नहीं थी, 1000/-रू0 की अवैध प्रापती करके राशि व पद का दुरुपयोग किया है । राशि की वसूली के साथ-2 अवैध प्राप्ति में उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए ।

19. अनियमित भुगतान :-

(1) वाउचर संख्या 16, दिनांक 13.12.88 :-

261/-रू0 का पैट्रोल खरीदा गया । यह पैट्रोल गाड़ी सं0 एच0आई0डब्ल्यू0-3 में प्रयोग किया गया दिखाया है । पैट्रोल का क्रय अनियमित है :-

(क) यह पैट्रोल उक्त वाहन की लाग-बुक में दर्ज नहीं किया गया है ।

(ख) पैट्रोल का पालिका कोष से अन्य विभाग के वाहनों को देना अनुचित था ।विशेषतया उन परिस्थितियों में जबकि पालिका का कोई कार्य द्वारा व्यय को प्रमाणित न किया गया हो ।

अतः इस राशि को भूतपूर्व प्रधान श्री गुप्ता से वसूल किया जाए ।

(2) वाउचर सं0 43,दिनांक 30.9.89 :

सचिव ट्राईबल फेस्टीवल कल्पा को सोवनियर में आधे पृष्ठ पर विज्ञापन देने के 800/-रू0 की राशि का भुगतान किया गया भुगतान कोष का दुरुपयोग है क्योंकि :-

(1) वित्त विभाग द्वारा जारी समय-2 पर आदेशों के अन्तर्गत विज्ञापनों पर व्यय की जाने वाली राशि पर रोक लगा दी गई हुई थी ।

द्वारा गलत प्रमाण पत्र देकर राशि का दुरुपयोग किया गया है । रिकार्ड के अनुसार इसे कहीं भी उपयोग में नहीं लाया है । अतः क्रय वाली प्र... प्रतीत होता है इस बारे में पूरी छानबीन की जाए और यदि यह खरीद वास्तव में ठीक न पाई जाए तो सर्वप्रथम इस राशि को वसूल कि...

24

§2§ उक्त सोवनियर की कापी पालिका को नहीं भेजी गई। अत: यह भी प्रमाणित नहीं हो सका कि विज्ञापन छपा था या नहीं ।

§3§ कल्याण के मेले के उपलक्ष्य में छपे सोवनियर में विज्ञापन का छपना, परवाणू पालिका के लिए उद्देश्य हीन है ।

इस अनियमित व्यय को प्रधान से वसूल किया जाए ।

§3§ वाउचर संख्या 16, दिनांक 24.1.90 :-

इस बिल द्वारा सचिव को 12/89 के मास का यात्रा भत्ता दिया गया । यात्रा अवधि को जबकि बेसिक दरों से भत्ता दिया जाना था परन्तु इसे 250/-रु० अधिक दर पर दिया गया । इस प्रकार समस्त बिल द्वारा 24-50रु० की अधिक राशि दी गई, जिस से सचिव से वसूल किया जाए ।

§4§ वेतन बिल मास 12/89, वाउचर सं० 1,

श्री हरि कृष्ण लिपिक को इस बिल द्वारा 102/-रु० की अतिरिक्त राशि दी गई ब्यौरा निम्न है :-

कुल देय वेतन	1477-00
वेतन दिया गया	1579-00
अधिक अदायगी	102-00

इस राशि को तुरन्त वसूल किया जाए ।

§5§ पानी की टंकी का अधिक मूल्यों पर क्रय :-

अनुदान राशि वाउचर सं० 1, दिनांक 21.9.89

नरेश अग्रवाल से पानी की टंकी 2300/-रु० की क्रय की गई । यह टंकी प्लास्टिक की बनी है तथा जिसकी क्षमता 750 लीटर की है । यह टंकी परवाणू मार्केट में प्राय: 1800/-रु० की उपलब्ध है तथा अन्य निम्न तथ्यों से स्पष्ट है कि यह टंकी जानबूझ कर सचिव द्वारा अधिक मूल्यों पर क्रय की गई है :-

§1§ कोटेशन सचिव द्वारा स्वयं हाथों द्वारा एकत्र की गई तथा समस्त क्रय प्रक्रिया को स्वयं किया गया । कोटेशन मात्र एक दिखावा था ।

§2§ कोटी द्वारा लगभग 2 मास बाद स्वास्तिक स्टोर परवाणू द्वारा गलत प्रमाण पत्र देकर राशि का दुरुपयोग किया गया है । रिकार्ड के अनुसार इसे कहीं भी उपयोग में नहीं लाया है । अत: क्रय जाली प्रतीत होता है इस बारे में पूरी छानबीन की जाए और यदि यह क्रय वास्तव में ठीक न पाई जाए तो सर्वप्रथम इस राशि को वसूल कि

(25)

से दिनांक 7.11.89 को जिसका भुगतान 12/89 को किया, इस तरह के टैंक को 2-40 प्रति लीटर के हिसाब से क्रय किया गया यानि 750/- लीटर टैंक का मूल्य केवल 1800/-रु0 था । जिससे स्पष्ट है कि इस टैंक को 500/- अधिक मूल्यों पर क्रय किया गया । जिससे सचिव स्वयं मे

(25)

(6) <u>सेल टैक्स की अनुचित अदायगी :-</u>

एडवर्टाइज्ड टैण्डर कमेटी से दिनांक 23.10.89 को अनुमान राशि से 13,200/-रु0 की [illegible] पानी की टंकियाँ क्रय की गई इस राशि का भुगतान प्रोफार्मा इन्वाइस पर ही किया गया था । इस भुगतान में 1200/-रु0 कौर सेल्स टैक्स अदा किए गए जो कि अनुचित था क्योंकि टैक्स का भुगतान केवल पक्का बिल की प्राप्ति पर ही किया जा सकता था । इस प्रकार टैक्स की उचित द्वारा अदायगी करना अनुचित था । अतः राशि को तुरन्त वसूल किया जावे ।

तक अंकित है । इस कार्य से 2 सम्बन्धित मद है

1. व्हौल टाप
2. वाटर प्रूफिंग

व्हौल टाप वहाँ किया जाता है जिस भाग में वियरिंग कोट न किया गया है । जहाँ वियरिंग कोट किया जाता है वहीं पर वाटर प्रूफिंग की मद दी जाती है व्हौल टाप भी नहीं । दोनों एक ही प्रकार के कार्य है केवल थोड़ा फर्क है तथा दोनों के रेट इस प्रकार है ।

व्हौल टाप	10.80 प्रति 10 वर्ग मीटर
वाटर प्रूफिंग	6.55 प्रति 10 वर्ग मीटर

इस प्रकार जैसा कि ऊपर भी उल्लेख किया गया है कि वाटर प्रूफिंग केवल वहीं दिया जा सकता है जहाँ वियरिंग कोट किया गया हो परन्तु अधिशासी अभियन्ता द्वारा समस्त कार्य पर वाटर प्रू

द्वारा गलत प्रमाण पत्र देकर राशि का दुरुपयोग किया गया है । रिकार्ड के अनुसार इसे कहीं भी उपयोग में नहीं लाया है । अतः क्रय जाली प्र प्रतीत होता है इस बारे में पूरी छानबीन की जाए और यदि यह खरीद वास्तव में ठीक न पाई जाए तो सर्वप्रथम इस राशि को वसूल कि

से दिनांक 7•11•89 को जिसका भुगतान 12/89 को किया, इस तरह के टैंक को 2-40 प्रति लीटर के हिसाब से क्रय किया गया यानि 750/- लीटर टैंक का मूल्य केवल 1800/-रु0 था । जिससे स्पष्ट है कि इस टैंक को 500/- अधिक मूल्यों पर क्रय किया गया । जिससे सचिव स्वयं ही जिम्मेदार है । इस बारे में उचित कार्यवाई की जाए और की गई कार्यवाई से इस कार्यालय को सूचित किया जाए ।

§6§ सेल्स टैक्स की अनुचित अदायगी :

अनुदान राशि से दिनांक 23•10•89 को 13200/- रु0 का भुगतान इण्डस्ट्रीयल ट्रेडर्स चण्डीगढ़ को पानी की टंकीयां क्रय करने को इस प्रकार किया गया :-

2 टांकी पानी	6000/-प्रति	12000-00
	टैक्स 10%	1200-00
		13200-00

यह समस्त भुगतान अनुचित था क्योंकि

20• निर्माण कार्य:-

राजीव गुप्ता ठेकेदार द्वारा सेक्टर 2 में सड़कों पर ग्रिटिंग की गई । जिसकी प्रविष्टियां माप पंजिका 3 के पृष्ठ संख्या 1 से 15 तक अंकित हैं । इस कार्य से 2 सम्बन्धित मद हैं

1• ब्लैक टाप

2• वाटर मैकेन्डीयम

ब्लैक टाप वहां किया जाता है जिस भाग में वियरिंग कोट न किया गया है । जहां वियरिंग कोट किया जाता है वहीं पर वाटर मैकेन्डीयम की मद दी जाती है ब्लैक टाप की नहीं । दोनों एक ही प्रकार के कार्य हैं केवल थोड़ा फर्क है तथा दोनों के रेट इस प्रकार है ।

ब्लैक टाप	10•80 प्रति 10 वर्ग मीटर
वाटर मैकेन्डीयम	6•55 प्रति 10 वर्ग मीटर

इस प्रकार जैसा कि ऊपर भी उल्लेख किया गया है कि वाटर मैकेन्डीयम केवल वहीं किया जा सकता है जहां वियरिंग कोट किया गया हो परन्तु कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा समस्त कार्य पर वाटर

द्वारा गलत प्रमाण पत्र देकर राशि का दुरुपयोग किया गया है । निरी के अनुसार इसे कहीं भी उपयोग में नहीं लाया है । अतः क्रय जाली प्रतीत होता है इस बारे में पूरी छानबीन की जाए और यदि खरीद वास्तव में ठीक न पाई जाए तो सर्वप्रथम इस राशि को वसूल कि

§क§ इससे सम्बन्धित प्राप्त पेंटिंग में इसकी दर 16/-रु0 प्रति गार्डेन है । जैसा कि ... 2 ... का मोटा ... ...

मैग्नीशियम मद दिया गया जबकि केवल व्हाइट टाप का रेट दिया जाना था ।

जितना वियरिंग कोट किया गया ।	जितना वाटर मैग्नीशियम दिया	जितना दिया जाना था	जितने पर व्हाइट टाप का रेट दिया जाना था ।
428 वर्ग मीटर	648	428	240
648 वर्ग मीटर	1606	648	758
कुल 1376 वर्ग मीटर	2054	1376	998 व0मी

इस प्रकार 998 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 7.44 प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से अधिक राशि की अदायगी ठेकेदार को की गई। व्हाइट टाप तथा वाटर मैग्नीशियम में दरों का कुल अन्तर:

= 10.80-6.55= 4.25 तथा इस पर 75% अधिक प्रीमियम । यानि के 7.44 प्रति 10 वर्ग मीटर अधिक अदायगी की दर दी गई ।

कुल अधिक अदायगी $\frac{998 \times 7.44}{10}$ = 742.50 या 743 रु0

अतः 743/-रु0 की अधिक अदायगी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा की गई जिसे कनिष्ठ अभियन्ता से वसूल किया जाए ।

21. 3300/-रु0 मूल्यों की ग्रील का दुरुपयोग :

अनुदान राशि से वाउचर सं0 3, दिनांक 21.9.89 जो बिल सं0 545 दिनांक 12.9.89 द्वारा सैनी इण्डस्ट्रीज परवाणु से 3300/- रु0 की लोहे की ग्रिल क्रय की गई दिखाई गई है । कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा वाउचर पर लिखा है कि इस सामग्री को एम0ए0 एस0 पंजिका के पृष्ठ संख्या 15 पर अंकित किया गया है । परन्तु वास्तव में इसे एम0 ए0 एस0 पंजिका पर दर्ज नहीं किया गया था । कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा गलत प्रमाण पत्र देकर राशि का दुरुपयोग किया गया है । रिकार्ड के अनुसार इसे कहीं भी उपयोग में नहीं लाया है । अतः क्रय जाली प्रतीत होता है इस बारे में पूरी छानबीन की जाए और यदि यह खरीद वास्तव में ठीक न पाई जाए तो सर्वप्रथम इस राशि को वसूल कि...

पाईप है । जैसा कि एक पाईप 2 फुट लम्बाई का होता है इसलिए एक

(27)

किया जाए तथा दोषी के विरुद्ध सामग्री के दुरुपयोग के लिए सख्त कार्यवाही की जाए ।

22. **सहायक अभियन्ता द्वारा बिटुमन की दर कम करने पर ठेकेदार को 4691/-रु0 की छूट में सहायता :-**

राजीव गुप्ता ठेकेदार को पालिका की विभिन्न सड़कों में टारींग का कार्य दिनांक 5.12.88 को 5 अलग-2 टेण्डरों के माध्यम से दिया गया । इसी के साथ यह भी तय हुआ कि बिटुमन के प्रति ड्रम जो पालिका द्वारा सप्लाई किया जाता है का मूल्य 675/-रु0 की दर से ठेकेदार से वसूल किया जाएगा ।

तदोपरान्त सेक्टर 2 के कार्यों में जारी बिटुमन की कीमत 675/-रु0 प्रति ड्रम ही वसूल की गई । अचानक इसके बाद सहायक अभियन्ता श्री एच0के0 बालियान द्वारा बिना कोई वजह से स्वेच्छा से प्रति ड्रम की कीमत 608 प्रति ड्रम वसूल करने के आदेश जारी किए ।

इन अनुचित आदेशों के कारण अन्य 73 ड्रमों की कीमत 608/-रु0 प्रति ड्रम वसूल की गई । अतः 67/-रु0 प्रति ड्रम की दर से 4691/-रु0 की राशि में छूट देकर ठेकेदार को अवैध रूप से सहायता दी गई । सहायक अभियन्ता के आदेश अवैध थे क्योंकि एक बार तय वसूली रेट को किसी भी कारण से कम नहीं किया जा सकता था जिससे स्पष्ट है कि सहायक अभियन्ता का आचरण सन्देहजनक था । अतः इस राशि की वसूली तुरन्त की जाए और इस कार्यालय को सूचित किया जाए ।

23. **कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा ~~सैनिट्री~~ सैनिट्री के सामान के क्रय में 2000/-रु0 का अनुचित भुगतान :-**

वाउचर संख्या 15, दिनांक 1.8.89 :

मैसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी गाजियाबाद से 18,5600/-रु0 की सैनिट्री से सम्बन्धित सामग्री क्रय की गई । इस बिल द्वारा एस0डब्लू पाईप 3200 रु0 के क्रय किए गए । एस0 डब्लू0 पाईप गन्दे पानी के निकास में प्रयोग किए जाते है । बिल में निम्न प्रकार से राशि अंकित है :-

एस0डब्लू0पाईप	200 रनिंग फुट	16/-प्रति फुट	3200-00

(78)

(क) इससे सम्बन्धित प्राप्त कोटेशन में इसकी दर 16/-रु0 प्रति गार्डर है । जैसा कि एक गार्डर,2 फुट लम्बाई का होता है,इसलिए एक रनिंग फुट की दर 8/-रु0 प्रति रनिंग फुट बनती है ।

(ख) अंकेक्षण अधिकारी द्वारा गोयल हार्डवेयर मरवाण में 2/91 को इसकी कीमत पता की गई तथा उस वक्त इसकी दर 13/-रु0 प्रति गार्डर बताई गई यानि 6 रु0 50 पैसे प्रति रनिंग फुट थी । यह सामान 7/89 को क्रय किया गया था तो उस समय इसकी कीमत 6/-प्रति रनिंग फुट से अधिक नहीं होगी ।

सर्वप्रथम तो 16/-रु0 प्रति गार्डर की जगह 16/- प्रति रनिंग फुट का मूल्य देना संकेत करता है कि जानबूझ कर यह अधिक अदायगी की गई ।

(2) मार्केट रेट के अनुसार जबकि केवल 6/-रु0 प्रति फुट यानि प्रति गार्डर 12/-रु0 के हिसाब से क्रय किया जाना चाहिए था तथा इस पर कुल व्यय 1200/-रु0 ही बनता ।

अतः इस सामग्री के क्रय में 2000/-रु0 अधिक भुगतान किया गया है तथा क्रय अधिक मूल्यों पर किया जा रहा है,हाथ द्वारा कोटेशन प्राप्त करना एक दिखावा है तथा जानबूझ कर नियमों की अवहेलना निजि हित में करके राशि का दुरूपयोग किया गया है ।

24. अनुदान राशि,वाउचर संख्या शून्य दिनांक 23.10.89 :

कालिमा इण्डस्ट्रीज से 5 ट्रक रेत 3250/-रु0 में क्रय किए गए । प्रति ट्रक में 8.5 घन मीटर रेत प्राप्त की जाती है । परन्तु एम0 ए0 एस0 के पृष्ठ संख्या 16 पर इन पांचों ट्रकों से प्राप्त रेत कुल 35-37 घन मीटर दर्ज की गई जबकि 42.50 घन मीटर रेत दर्ज की जानी चाहिए थी । 7 घन मीटर रेत को कम दर्ज किया गया जिसकी कीमत 535/-रु0 कनिष्ठ अभियन्ता से वसूल की जाए ।

25. मस्ट्रोल संख्या 56,दिनांक 9/89 :

बेलदार टेकचन्द को 14 दिन का वेतन भुगतान किया गया जबकि वह केवल 12 दिन उपस्थित था । 2 दिन का 36/-रु0 का अधिक भुगतान कनिष्ठ अभियन्ता से वसूल किया जाए ।

यों को पुनः पूर्ण रूप से जांच किया जाए ।

29. सेक्टर 5 की आर0सी0सी0 सं0 शून्य से ~~288~~ 250 की प्रविष्टियां :-

माप पंजिका 3 के पृष्ठ संख्या 16 पर सेक्टर 5 की आर0 सी0 सी0 शून्य से 250 तक के विद्यमान कार्य रिकार्ड किए गए हैं । इस

(28)

26. एम0 ए0 एस0 पंजिका पर गलत एवं अधिक सामग्री की खपत :-

एम0 ए0 एस0 पंजिका की जाँच से पता चला कि इस पंजिका पर गलत एवं अधिक सामग्री उपयोग की गई दिखाई गई है । ब्योरा निम्न है :-

§1§ पंजिका के पृष्ठ संख्या 21 पर, पालिका भवन के निर्माण पर निम्न सामग्री उपयोग की गई दिखाई गई है:-

§1§ सिमेन्ट 232 बैग ।

§2§ रेत 55.21 घन मीटर ।

§3§ बजरी 62.49 घन मीटर ।

§4§ लकड़ी 12 क्विंटल ।

§5§ बजरी 5 घन मीटर ।

परन्तु माप पंजिका पर इसका कोई हवाला नहीं दिया गया है कि किस कार्य पर यह सामग्री प्रयोग की गई है । खपत को स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सामग्री की राशि कनिष्ठ अभियन्ता से वसूल की जाए ।

§2§ एम0 ए0 एस0 पंजिका के पृष्ठ 4 पर एक बैग सिमेन्ट का शेष था, अन्त में इसे नाली की रिपेयर के प्रयोग में लाया गया खपत दिखाई गई । परन्तु किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई की वास्तव में यह प्रयोग हुआ भी या नहीं, इसलिए इस खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता अतः इसकी 109/-रु0 कीमत कनिष्ठ अभियन्ता से वसूल की जाए ।

27. अनुदान राशि व्यय मास 9/89 :-

1625-00 रु0 के पाईप क्रय किए गए परन्तु इसे स्टाक में दर्ज नहीं किया गया था न ही खपत का कोई ब्योरा दिया गया है । यह क्रय कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया गया है, तथा इस सामग्री का दुरुपयोग किया गया है अतः इस राशि को वसूल किया जाए ।

28. कोठी के कार्यालय भवन के निर्माण में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 6230/-रु0 मूल्यों के सरिया की अनुचित खपत :

यों की पुनः पूर्ण रूप से जाँच किया जाए ।

29. सेक्टर 5 की आर0सी0सी0 नं0 शून्य से 250 की प्रविष्टियां :-

माप पंजिका 3 के पृष्ठ संख्या 16 पर सेक्टर 5 की आर0 सी0 सी0 शून्य से 250 तक के विद्युत कार्य दिखाई किए गए है । इस

कार्य में विद्युत से सम्बन्धित मद "वियरिंग कोट" की गहराई की जो कि मापन में अनुचित दिखती है।

(30)

नाप पंजिका 6(ए) के पृष्ठ संख्या 24 से 27 तक पालिका भवन के निमार्ण कार्यों की प्रविष्टियां जांच करने से मालूम हुआ है कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 623 किलो ग्राम सरिए के अधिक खपत दिखाई गई थी ।

सहायक अभियन्ता द्वारा जब इस कार्य का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता ने नाप पंजिका पर 623/ किलो सरियर अधिक दिखाने का प्रयत्न किया था परन्तु निरीक्षण होने पर यह अधिक खपत पाई गई । सहायक अभियन्ता द्वारा नाप पंजिका पर उन प्रविष्टियों को काट दिया गया जिन्हें कनिष्ठ अभियन्ता ने भरा था और उचित प्रविष्टियां उन्होने दर्ज कर दी जो इस प्रकार है :-

नाप पंजिका का पृष्ठ	सरिए का आकार	कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा की गई प्रविष्टियां	सहायक अभियन्ता द्वारा की गई प्रविष्टियां	अधिक पाई गई खपत कुन्टल मी0 में।	अधिक खपत कि0 ग्रा0 में
25	16 एम0एम0	645-10	580-73	64.37	64=37 x 1.58 =101.70
26	12 एम0एम0	1895-40	1308-00, 587.40	587.40	587.40 x 0.89 = 522-00
					101.70 522-00
					कुल कि0 623-70

इस प्रकार 623/-20 किलो सरिया, जिसकी कीमत 6230/-रु0 बनती है, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अधिक खपत दिखाने का प्रयत्न किया गया । अतः इस राशि को तुरन्त वसूल करके उचित कार्यवाही की जाए ।

(2) नाप पंजिका के निरीक्षण के उपरान्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा पंजिका के पृष्ठ संख्या 27 पर बची खाली जगह पर प्रविष्टियां दर्ज की गई है जो कि सरिए की खपत को अनुचित ढंग से पूरा करने का प्रयत्न है । वास्तविकता की जांच की जाए तथा पंजिका की प्रविष्टि-
29. यों को पुनः पूर्ण रूप से जांच किया जाए ।

सेक्टर 5 की आर0पी0 सं0 शुन्य से 250 की प्रविष्टियां :-

नाप पंजिका 3 के पृष्ठ संख्या 16 पर सेक्टर 5 की आर0 पी0 सं0 शुन्य से 250 तक के विद्युत कार्य रिकार्ड किए गए है । इस

(31)

कार्य में विद्यमान से सम्बन्धित मद "वियरिंग कोट" की गहराई, जो कि माकरल से अनुचित दिखती है औसतन 0.30 मीटर दिखाई है, क्योंकि सामान्य तौर पर इसे 0.10. मीटर तक गहरा बिछाने का नियम है। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण दिया जाए।

30. सारांश :-

अतः अनेकों अनियमितताएँ की गई है जिसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी अनिवार्य है।

हस्ता/-
संयुक्त निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)66/79, दिनांक, शिमला-171002.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : 10 JAN 1994

1. प्रधान, अधिसूचित क्षेत्र समिति, परवाणु जिला सोलन (हि0प्र0) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
2. उप सचिव (स्थानीय स्वशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. निदेशक, शहरी स्थानीय निकायें, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.
4. जिलाधीश सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
5. श्री विनोद राज गुप्ता, अनुभाग अधिकारी, द्वारा.........

संयुक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

5/91		5985-60
7/91	5/91	383-80
6/91	6/91	420-20
	7/91	810-40
		7600-20

परिशिष्ट "ग"

सचिव पालिका परवाणु द्वारा मोटर साईकल पर यात्रा करने के भुगतान का ब्योरा

भुगतान की तिथि	यात्रा भत्ता दावा का माह	राशि जो मोटर साईकल के लिए प्राप्त की ।
11.9.89	7/89 व 8/89	199-80
23.10.89	9/89	397-40
11.12.89	10/89 से 11/89	216-00
24.1.90	12/89	391-00
5.4.90	1/90	108-00
"	2/90	150-00
"	3/90	300-00
6/90	5/90	316-00
8/90	7/90	486-40
8/90	6/90	692-40
9/90	8/90	350-00
11/90	9/90	334-00
11/90	10/90	272-00
12/90	10/90	358-40
1/91	12/90	352-00
2/91	1/91	182-40
—	3/91	624-00
4/91	4/91	256-00
		5985-80
6/91	5/91	383-80
7/91	6/91	420-20
8/91	7/91	810-40
		7600-20

Annexure-'B'

No.	Year	Name of the sanctioned authority	Sanctioned letter No.	Date of entry in cash book	Name of Grant-in-aid	Amt. received	Amt. spent	Unspent balance	Remarks
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	1979-80	LSG	LSG(C)(10)8/80dt. 26.3.81	31.3.80	C/o working women's Hostel	25000=00	25000=00	-	UC & completion has not received yet from HPHB.
	1982-83	LSG	LSG-C(10)-26/83 dt. 30.3.83	31.3.83	C/o Air shelter(re-allocated vide Govt.letter No. LSG-C(10)20/74 dt. 22.2.85 for const. of Khokha's.	15000=00	-	15000/-	
	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	15000=00	-	15000/-	
	1984-86	-do-	LSG-C(10)48/84	18.2.85	Const. of roads/bridges	100000=00	100000/-	-	UC sent.
	1985-86	LSG	LSG-C(10)25/85 dt. 29.3.86	31.3.86	For sanitation scheme	50000=00	50000/-	-	
	-do-	-do-	-do-	-do-	For sanitation scheme urinals/drains etc.	20000=00	19270=00	730/-	Balance of Rs. 730/- with Housing Board not refunded.
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. of crematorium	30000=00	30000=00	-	UC sent.
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. of Mule shed	20000=00	20000=00	-	-do-
	-do-	-do-	-do-	-do-	For Street light	88670=00	88670=00	-	UC not sent.
	1986-87	-do-	LSG-C(10)-29/87 dt. 29.3.87	30.3.87	Pipe fitting for replacement of severage line.	9500=00	9500=00	-	UC sent
	-do-	-do-	-do-	-do-	Repair of building & town hall	7000=00	7000=00	-	UC sent
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. & repair of parks.	5000=00	5000=00	-	UC sent.
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. of shops/stalls.	4000=00	4000=00	-	-do-
	-do-	-do-	-do-	-do-	For Plantation.	1000=00	1000=00	-	UC sent
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. & maintenance of roads patch work in sec-1,2,3,4,5.	40000=00	~~38803=00~~ 37923	~~1197/-~~ 2077/-	Not refunded by the Housing Board.
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. & maintenance of supply & sanitation in different different streets in Pwn.	7000=00	7000=00	-	UC sent.
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. & maintenance of roads in Sector-IA	9500=00	9500=00	-	-do-
	-do-	-do-	-do-	-do-	Repair of parks in Sec-I & 5.	5000=00	5000=00	-	-do-
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. of rain shelter in sec-4, Parwanoo.	5000=00	5000=00	-	-do-
	-do-	-do-	-do-	-do-	Installation of street light.	5000=00	5000=00	-	-do-
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. of meat market & vegitable market inSec-4	3000=00	3000=00	-	-do-
	-do-	-do-	-do-	-do-	For Plantation	2000=00	2000=00	-	-do-
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. of Mule shed	5000=00	5000=00	-	-do-
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. of shops/stalls	10000=00	1732=00	8268=00	-
	-do-	-do-	-do-	-do-	Repair of roads/drains Nalahs damaged by heavy rains.	20000=00	20000=00		UC sent
	1987-88	-do-	LSG-C(10)29/87 dt. 20.2.88		Dev. of parks in sector-I & IV.	5000=00	5000=00	-	-do-
	-do-	-do-	-do-		Const. of cattle pond & Mule shed.	3100=00	3100=00	-	UC sent
	-do-	-do-	-do-		Laying & Providing pipe line in crematorium in sector-5.	10000=00	9067=00	933=00	-

Sr.No.	Year	Name of the sanctioned authority	Sanctioned letter No.	Date of entry in cash book	Name of Grant-in-aid	Amount received	Amount spent	Un-spent balance	Remarks
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	1987	LSG	LSG-C(10)29/87 dt. 20.2.88	22.2.88	Const. of shops in Sector-I & IV.	12000=00	-	12000=00	
0.	-do-	-do-	-do-	-do-	Installation of street light in sector-2	5000=00	5000=00	-	
	-do-	-do-	-co-	-co-	For Plantation	1000=00	1000=00	-	
	-do-	-do-	-do-	-do-	For water supply & sanitation repair in sec-I & V.	8075=00	8075=00	-	
	-do-	-do-	-co-	-do-	Maintenance of sewerage line in NAC, Parwanoo.	6413=00	6326.00 ~~6413=00~~	87.00	UC not sent
13.	-do-	-do-	-ao-	-do-	Const. of office building & Town Hall.	15150=00	15150=00	-	
14.	1987-88	-do-	-do-	-do-	Const. of building & Town Hall in NAC, Parwanoo	46743=00	46743=00	-	
15.	-do-	-do-	-do-	-do-	Maintenance of roads & Bridge in sec-I & V	9595=00	9595=00	-	
16.	-do-	-do-	-do-	-do-	Maintenance of roads & bridge in NAC, Parwanoo.	38950=00	38950=00	-	
17.	-do-	-uo-	-do-	-do-	Maintenance of roads & Bridges in NAC, Parwanoo	47500=00	47500=00	-	
18.	-do-	-do-	LSG-C(10)63/06 dt. 20.2.88	-do-					
								53...	

Certified that above statement of Grant checked and found correct

(VINOD GUPTA)
SO

Sr. No.	Year	Name of the sanctioned allowance	Sanctioned letter No.	Date of entry in cash book	Name of Grant-in-aid	Amount received	Amount spent	Unspent balance	Re.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	[illegible]	[illegible]	ULB-H(C)(10)-156/87 dt. 21.1.88	22.2.88	~~Maintenance of~~ Allocation of funds under [illegible]	150000=00	150000=00	-	
	-do-	-do-	ULB-H(C)(10)[illegible] dt. [illegible]	-do-	Repair & restoration of damages caused of damages to the road patch etc.	144500=00	144500=00	-	
3.	-do-	-do-	ULB-H(C)(10)2/88 dt. 8.12.88	-do-	-do-	~~12380=00~~ 400000=00	12380=00 400000=00	- -	
4.	1988.89	-do-	LSG-C(10)-25/89 dt. 28.3.89	31.3.89	For maintenance of roads in in NAC, Parwanoo.	12380=00	12380=00	-	
5.	-do-	-do-	-do-	-do-	Maintenance of road in various sectors in Parwanoo.	43043=00	43043=00	-	
6.	-do-	-do-	-do-	-do-	Providing sanitary fittings Latrines/urinals under various sectors in Parwanoo.	13809=00	13716=00	93=00	
7.	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. of shops/stalls.	19352=00	~~19352=00~~	19352=00	
8.	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	20000=00	-	20000=00	
9.	-do-	-do-	-do-	-do-	Maintenance of street light	10000=00	10000=00	-	
10.	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. of rain shelter.	4907=00	4907=00	-	
11.	-do-	-do-	-do-	-do-	For Plantation.	2000=00	2000=00	-	
12.	-do-	-do-	-do-	-do-	C/O Main Hole 5 Nos. under various sectors in NAC, Parwanoo.	8437=00	8437=00	-	
13.	-do-	-do-	ULB-H(C)(10)2/88-III dt. 20.3.89.	-do-	Under Rain damage.	50000=00	50000=00	-	
	-do-	-do-	ULB-H(C)64/88 dt. 15.6.90	-do-	2245-Natural Calamities.	30000=00	30000=00	-	
15.	1989-90	-do-	LSG-C(10)/90 dt.29.3.90	31.3.90	Providing & Laying of pipe lines.	8665=00	-	8665=00	
	-do-	-do-	-do-	-do-	For const. of terrace wall in in sector-IV.	9134=00	-	9134=00	
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. of rain shelter.	10000=00	3030=00	6970=00	
	-do-	-do-	-do-	-do-	Providing of street light	7866=00	7866=00	-	
	-do-	-do-	-do-	-do-	For Plantation.	11080=00	11080=00	-	
	-do-	-do-	-do-	-do-	Const. of Guest House over NAC Office, Parwanoo.	29495=00	16477=00	13018=00	
	-do-	-do-	-do-	-do-	Repair & maintenance of roads with pre-mix carpet surface on roads in sector-IV.	44101=00	41692=00	2409=00	
	-do-	-do-	LSG-C(10)F35/90 dt. 31-3-90	-do-	Construction of guest house on the 2nd floor of NAC office	33480=00	—	132769=00 33480=00	
								Total amount 166547=00	

Certified that the above statement of grant is prepared from the records of NAC & expenditure checked & found correct.

Sd/-
(VINOD SINHA)
S.O.